तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.08.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2017 को इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684 बाकै ग्राम मांगरोल तहसील मनियां जिला धौलपुर में मूल वाद का प्रतिवादी संख्या 5 दामोदर पुत्र भूपति 1/3 का खातेदार काश्तकार था। दामोदर ने उक्त आराजी में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 18.06.1986 पतौनी व दामोदर पुत्रगण टुण्डीराम गुर्जर निवासीगण ग्राम परसौंदा तथा बिजेन्द्र सिंह पुत्र धांधू गुर्जर निवासी ग्राम जयेरा को विक्रय कर दिया। दामोदर के 1/3 भाग के खातेदार पतौली, दामोदर व बिजेन्द्रसिंह हुए व काबिज हुए। बिजेन्द्र सिंह ने उक्त क्रय किये गये हिस्से को जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 01.07.86 यादव सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंकह जाति ब्राम्हण निवासी मांगरोल को विक्रय कर दिया इसी प्रकार पतौली व दामोदर ने भी अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 27.11.87 को यादवसिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार यादवसिंह विवादित आराजी के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार हुआ तथा काबिज हुए यादव सिंह का देहान्त वर्ष 1998 में हो गया। यादवसिंह की विरासत उनके पुत्रगण मुरारीलाल, मुन्नालाल तथा बिजेन्द्रसिंह व पुत्रीगण माया व मंजू तथा पत्नि रामबेटी ने प्राप्त की बिजेन्द्र सिंह का भी निधन हो गया बिजेन्द्र सिंह के वारिस उनके पुत्रगण कमलेश, संजय व राजेश है। वादीगण विवादित आराजी के 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी कि विवादित आराजी पर उनका नाम है तथा तुम्हारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज हो चुकी है हम कब्जा करेंगे तुमको बेदखल करके रहेंगे। क्योंकि दामोदर के 1/3 भाग का वयनामा दिनांक 20.02.1999 को अपने नाम करा लिया है दामोदर पुत्र भोपति ने दिनांक 18.06.1986 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा पतौली, दामोदर पुत्र टुण्डीराम व बिजेन्द्रसिंह पुत्र धांधू को विक्रय कर दिया और इन्होंने मृतक यादव सिंह के नाम कर दिया उक्त आराजी का पुनः वयनामा भोपति ने दिनांक 20.02.1999 को गैरसायलान के नाम कर दिया, दामोदर पुत्र भोपति दुबारा वयनामा गैरसायलान के नाम किया है वह प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है जिससे गैरसायलान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन	

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय

किया है।

वकील गैरसायलान ने जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दामोदर पुत्र भूपत जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरोल तहसील मनियां जिला धौलपुर ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684 रकवा 2 विस्वा बाकै ग्राम मांगरोल में निहित अपना 1/3 हिस्सा जो कि मांगरोल की आबादी व सड़क राजाखेड़ा से मनियां से लगी थी उसमें उसकी ग्राउण्ड फ्लोर पर दो दुकान, दुकानों से लगा कोठा एवं झीना तथा बरडा एवं प्रथम मंजिल पर हो रहे निमार्ण को बिना छत के बनी हुई जायदाद को जरिये विक्रय पत्र तारीखी 20.02.1999 पंजीयन दिनांक 05.03.1999 से गैरसायलान को विक्रय कर कब्जा व आधिपत्य प्रदान किया था। सायलान को इस बाबत् 1999 से ही जानकारी थी तथा उक्त आराजी में बनी दुकानात व मकानात में गैरसायलान निवास व उपयोग तथा उपभोग कर रहे है। तब उन्होंने इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की यदि वास्तव में उनके पास इस प्रकार का तथाकथित विक्रय पत्र तारीखी 18.06.1986 बाबत् विवादित आराजी था तो उन्होंने उसी समय अर्थात वर्ष 1986 में ही उसके बाबत् नामांतकरण तस्दीक क्यों नहीं कराया एवं वर्ष 1986 से वर्ष 1999 के मध्य तक नामांतकरण क्यों तस्दीक नहीं कराया। इस बाबत् उन्होंने प्रार्थना पत्र में कोई कारण अंकित नहीं किया है। इसलिए उक्त तथाकथित विक्रय पत्र तारीखी 18.06.1986 के बाबत् कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। गैरसायलान के पक्ष में दिनांक 22.02.19999 को पंजीबद्ध हुए विक्रय पत्र के अनुसरण में नामांतकरण तस्दीक हो चुका है एवं गैरसायलान के नाम वहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राजात हो चुके है।

यदि सायलान को इस बाबत् कोई आपत्ति है तो वह गैरसायलान के पत्र में दिनांक 20.02.1999 को निष्पादित व दिनांक 05.03.1999 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त करवा कर अनुतोष प्राप्त करें। वैसे भी वर्तमान में गैरसायलान विवादित आराजी में 1/3 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है कोई भी अजनबी व्यक्ति अभिलिखित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कानूनन किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई वकील सायलान का

उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

कथन है कि विवादित आराजी का दामोदर पुत्र भोपत ने 2 बार विक्रय किया है। दिनांक 18.06.1986 को पतौली, दामोदर पुत्र टुण्डीराम, व बिजेन्द्रसिंह पुत्र धांधू को विक्रय किया एवं दिनांक 20.02.1999 दामोदर पुत्र भोपति ने दुबारा वयनामा गैरसायलान के नाम कर दिया, जो कि अवैध है तथा गलत है, ऐसी स्थिति में जो विक्रय पत्र पहले हुआ है वह मान्य होगा। जहॉ टाईटल के बाबत् विवाद हो तो वहॉ मूलवाद की कार्यवाही के दौरान स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिए 2015 आरबीजे (22) पेज संख्या 544। जहॉ दावा लम्बित रहते हुए भूमि का बेचान कर दिया तब यह संभावना है कि भूमि का आगे भी बेचान किया जा सकता है ऐसे में स्थगन आदेश जारी करना चाहिए 2019 आरबीजे पेज संख्या 551। वाद के तथ्य यदि बहस लायक है तो वाद की यथा स्थिति बनाये रखनी चाहिए 2019 आरबीजे पेज संख्या 129। धारा 212 आरटीए में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है 2020 आरबीजे पेज संख्या 82। गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की।

वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार गैरसायलान है। जो कि वर्ष 1999 से लगातार काबिज काश्त है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सायलान ने झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। सायलान द्वारा पूर्व में भी मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय दिनांक 10.07.2015 को करीब 10 वर्ष पूर्व हाजा न्यायालय से किया जाकर इस आशय का आदेश जारी किया गया कि "**राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी में सहखातेदार का इन्द्राज है सह खातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है सह खातेदार काश्तकार को विक्रय करने से कानूनन नहीं रोका जा सकता है। वयनामा का निर्धारण साक्ष्य के बाद मूल दावा में किया जायेगा। प्रथमदृष्टया केस की सुविधा का सन्तुलन साबित करने में सायलान असफल रहे है। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिजी योग्य है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया गया।** "

प्रार्थना पत्र 212 आरटीए हाजा न्यायालय में सायलान को पुनः तब लाना चाहिए था, जब कि उक्त आदेश के बाद कोई ऐसा कृत्य गैरसायलान द्वारा किया हो जिससे कि सायलान कोई अपूर्णीय क्षति संभावित हो। जिस विक्रय पत्र के बिन्दू पर सायलान पुनः

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र 212 आरटीए लाये है उक्त बिन्दू का निर्धारण हाजा न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकरण संख्या 79/2014 उनवानी रामबेटी बनाम बृजकिशोर निर्णय दिनांक 10.07.2015 में किया जा चुका है। उसी बिन्दू पर पुनः हाजा न्यायालय कैसे पुनः विचारण कर सकती है जिस बिन्दू पर न्यायालय अपना निर्णय पारित कर चुकी है। सायलान द्वारा गैरसायलान के हक में किये वयनामा हो अवैध व शून्य बताया है, उक्त वयनामा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। सायलान द्वारा वयनामा दिनांक 18.06.1986 का राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण क्यों नहीं कराया इसका संतोषप्रद जबाब ना देते हुए गैरसायलान के हक में हुए वयनामा को फर्जी व अवैध बताने ने सायलान को विवादित आराजी पर कोई हक प्राप्त नहीं होंगे। उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर गैरसायलान के हक में हुए वयनामा को निरस्त कराने की कार्यवाही करानी चाहिए तदोपरांत हाजा न्यायालय में दावा लाना चाहिए। विवादित आराजी पर वर्ष 1999 से गैरसायलान का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में इन्द्राज हो रहे है। तभी से काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी पर दिनांक 18.06.1986 को पतौली, दामोदर पुत्र टुण्डीराम, व बिजेन्द्रसिंह पुत्र धांधू को विक्रय किया एवं दिनांक 20.02.1999 दामोदर पुत्र भोपति ने दुबारा वयनामा गैरसायलान के नाम कर दिया, एवं दिनांक 20.02.1999 के वयनामा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाने के कारण गैरसायलान के नाम विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, और विक्रय से रोकने हेतु गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। इसी आधार पर दावा दायरी के समय भी वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 10.07.2015 को किया जा चुका है। उन्हीं आधार पर पुनः न्यायालय विचार किया जाना उचित नहीं समझती है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझती है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी धौलपुर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)